

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।
पीठासीन अधिकारी, श्री पंकज कुमार-II, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (UP 3652)

UPHP120025952026



जमानत प्रार्थना पत्र सं०-767/2026

सरकार बनाम विशाल अग्रवाल

मु०अ०सं०-343/2025

अं० धारा-318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 319(2) बी.एन.एस.

थाना-सिम्भावली, जनपद हापुड़।

दिनांक-02.07.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त विशाल अग्रवाल पुत्र सुभाषचन्द्र अग्रवाल निवासी मौहल्ला दुर्गापुरी, थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की ओर से मु०अ०सं०-343/2025, सरकार बनाम विशाल अग्रवाल अं० धारा-318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 319(2) बी.एन.एस., थाना-सिम्भावली, जनपद हापुड़ के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक 30.06.2026 से कारागार गाजियाबाद में निरुद्ध है।
2. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त दिनांक 30.06.2026 से कारागार गाजियाबाद में निरुद्ध है। अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का सदस्य है। अभियुक्त का माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भागने अथवा गवाहान तोड़ने का अन्देशा नहीं है। अभियुक्त माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार हैं। अतः जमानत पर रिहा किया जाने की प्रार्थना की गयी है।
3. सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।
4. अभियुक्त दिनांक 30.06.2026 से कारागार गाजियाबाद में निरुद्ध हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप अत्यंत ही गंभीर प्रकृति के हैं तथा अजमानतीय हैं। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अभियुक्त विशाल अग्रवाल पुत्र सुभाषचन्द्र अग्रवाल निवासी मौहल्ला दुर्गापुरी, थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की ओर से मु०अ०सं०-343/2025, सरकार बनाम विशाल अग्रवाल, अं० धारा-318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 319(2) बी.एन.एस., थाना-सिम्भावली जनपद हापुड़ के मामले में दाखिल जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(पंकज कुमार-द्वितीय)

(जे.ओ. कोड-UP3652)

अपर सिविल जज (जू०डि०)/ जे.एम.,

गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।